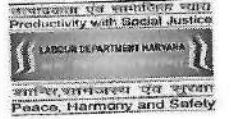




श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17सी, चण्डीगढ़, दूरभाष-0172-2701373
Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

कमांक: आई0आर0-2/2025/11047-89

दिनांक:- 04/04/25

विषय:-

हरियाणा राज्य में दिनांक 01-01-2025 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हुई बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 में वर्णित भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-01-2025 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात् वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार जून, 2024 के अन्त तक औसत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3326.60 अंक था, जो कि अगले छः मास अर्थात् दिसम्बर, 2024 तक बढ़कर 3438.5 अंक हो गया है। इस आधार पर कुल कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 111.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी0पी0आई0 संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूटरलाइजेशन है।

तदनुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में 3.36 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.01.2025 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती हैं:-

लगातार.....

Handwritten signature

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रु०)	दिनांक 01.07.2024 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.01.2025 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.01.2025 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	11001.76	255.36	11257.12	432.97
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	11551.81 12129.38	268.13 281.53	11819.94 12410.91	454.61 477.34
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	12735.86 13372.67	295.61 310.39	13031.47 13683.06	501.21 526.27
4.	उच्च कुशल		9699.74	14041.30	325.91	14367.21	552.59
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	11551.81	268.13	11819.94	454.61
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	12129.38	281.53	12410.91	477.34
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	12735.86	295.61	13031.47	501.21
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	12129.38	281.53	12410.91	477.34
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	12735.86	295.61	13031.47	501.21
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	13372.67	310.39	13683.06	526.27
		(vii) निजी सहायक	9699.74	14041.30	325.91	14367.21	552.59
		(viii) निजी सचिव	10184.73	14743.36	342.21	15085.57	580.21
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	12735.86	295.61	13031.47	501.21
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	13372.67	310.39	13683.06	526.27
		भारी वाहन	9699.74	14041.30	325.91	14367.21	552.59
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	11551.81	268.13	11819.94	454.61
		शस्त्र सहित	9237.85	13372.67	310.39	13683.06	526.27
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					
नोट:- कम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।							

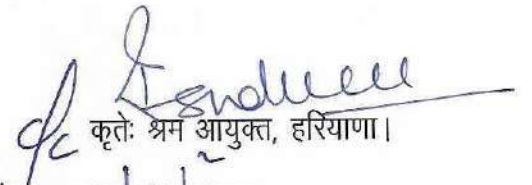
लगातार.....

London

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2025 से ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 3.36 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.01.2025 से हरियाणा राज्य में ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	641.37 रुपये	721.55 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 288.58 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 25.59 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गंधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 237.24 रुपये टैम्बू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटें भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 25.59 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	51.25 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	211.61 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	13031.47 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	13031.47 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप हरियाणा में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को व सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2025/11090-96

दिनांक: 04/04/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, प्रधान सचिव, श्रम विभाग को प्रधान सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
5. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/11097-397 दिनांक: 04/04/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राइवेट विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों व रजिस्ट्रार महोदय को।
3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्घमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।
7. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।

df कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/11398-600

दिनांक: 04/04/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

df कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/11601

दिनांक: 04/04/25

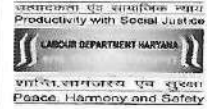
इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. आई0टी0 सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।

df कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।



Labour Department, Haryana
30 Bays Building Sector 17 C, Chandigarh. Ph-0172-2701373
Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



(To be substituted bearing same no and date).

To,

1. Additional Labour Commissioner (NCR), Gurugram.
2. All Deputy Labour Commissioners in State of Haryana.
3. All Deputy Labour Commissioners (Welfare) in the State of Haryana.
4. All Assistant Labour Commissioners in State of Haryana.
5. All Welfare Officers, HLWB and Welfare Officers (Women).
6. All Labour Inspectors in State of Haryana.
7. All Welfare Inspectors in the State of Haryana.

No. : IR-2/2022/33216-33346

Dated: 14.10.2022

Subject:- Revised Minimum Wages w.e.f. 01.07.2022 in the State of Haryana after including Working Class Cost of Living Index Number (Consumer Price Index number).

In reference to the subject cited above.

The Minimum Wages w.e.f. 01.07.2022 has been revised in various employments as defined in the Government Notification dated 21.10.2015, which are based on **Working Class Cost of Living Index Number (Consumer Price Index number)**. The adjustment in wages are made six monthly i.e. on 1st January and 1 July every year, after taking into account the average rise or fall Haryana State Working Class Cost of Living Index Number half yearly ending December and June respectively. In the end of December, 2021, the average **Working Class Cost of Living Index Number (Consumer Price Index number)** was **2958.90**, which is increased now **3015.10** in the next six month upto December, 2021. Hence, the increase in total Consumer Price Index number is **56.20**. There are 100% neutralization of the rise or fall of the CPI number on Pro-rata Basis as per the notification issued dated 21.10.2015 and implemented from 1st November, 2015.

Accordingly, as per Section 5 (2) of Minimum Wages Act, **1.90%** increase in prevailing basic wage of workers working in different categories and schedule employments (as per notification dated 21.10.2015) of Workers is determined. Now, minimum wages in the State of Haryana is payable w.e.f. 01.07.2022 as follows from next page:

to be continued.....

Sr. No.	Category	Post/Education	Basic Pay (As per notification dated 21.10.2015)	Minimum Wages w.e.f. 01.01.2022 (Rs.) (A)	Dearness Allowance from 01.07.2022 (Rs.) (B)	Minimum Wages w.e.f. 01.07.2022 (Rs.) (A+B)	Daily Wages (Rs.)
1.	Unskilled		7600.00	10098.88	144.40	10243.28	393.97
2.	Semi-Skilled (A) Semi-Skilled (B)		7980.00 8379.00	10603.78 11133.96	151.62 159.20	10755.40 11293.16	413.67 434.35
3.	Skilled (A) Skilled (B)		8797.95 9237.85	11690.67 12275.21	167.16 175.52	11857.83 12450.73	456.07 478.87
4.	Highly-Skilled		9699.74	12888.97	184.29	13073.26	502.82
5.	Clerical and General Staff	(i) Below Matriculation	7980.00	10603.78	151.62	10755.40	413.67
		(ii) Matriculation but not Graduate	8379.00	11133.96	159.20	11293.16	434.35
		(iii) Graduate or above	8797.95	11690.67	167.16	11857.83	456.07
		(iv) Steno Typist	8379.00	11133.96	159.20	11293.16	434.35
		(v) Junior Scale Stenographer	8797.95	11690.67	167.16	11857.83	456.07
		(vi) Sr. Scale Stenographer	9237.85	12275.21	175.52	12450.73	478.87
		(vii) Personal Assistant	9699.74	12888.97	184.29	13073.26	502.82
		(viii) Private Secretary	10184.73	13533.42	193.51	13726.93	527.96
6.	Data Entry Operator		8797.95	11690.67	167.16	11857.83	456.07
7.	Driver	Light Vehicle	9237.85	12275.21	175.52	12450.73	478.87
		Heavy Vehicle	9699.74	12888.97	184.29	13073.26	502.82
8.	Security Guard	Without weapon	7980.00	10603.78	151.62	10755.40	413.67
		With weapon	9237.85	12275.21	175.52	12450.73	478.87
9.	Security Inspector/Security Officer/Security Supervisor	In compliance of the order dated 29.04.2019 passed by Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Ltd. & others versus State of Haryana with Civil Appeal No. 4454 of 2019 (Arising out of special leave petition (Civil) no. 5832 of 2018) titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another, these categories have been excluded from the notification of Minimum Wages issued 21.10.2015.					
10.	Safai Karamchari in any employment	As per the Minimum Wages Act, 1948 Schedule-I insertion vide SO 1573 (E) dated 03.11.2005 (w.e.f. 7.11.2005), the entry is listed as "Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993". The Minimum Wages for this category is yet to be finalized. However, the Employers / Establishments shall continue to treat and draw wages under this category as hetherto prior to the notification dated 21.10.2015, till further revision.					
Note: No recovery is allowed in the wages paid to the employees mentioned at Sr. No. 10 above.							

to be continued.....

Further, **1.90%** increase in prevailing monthly and daily minimum wages of workers working in Brick Kiln Industries. Now, the Minimum Wages in the State of Haryana in various categories of workers working in Brick Kiln Industries is fixed and payable w.e.f. 01.07.2022 as follows:-

Sr. No.	Category of the employees	Per 1000 Bricks	Per 1000 Tiles
1.	Pathera	Rs. 583.60	Rs. 656.56
2.	Bharai Wala (Loading of Bricks into Kiln)	(a) Rs. 262.59 per 1000 bricks loaded in the Kiln provided the distance from the field to the kiln is upto 400 meters. Beyond this distance an additional wages of Rs. 23.28 per 1000 bricks for every additional 100 meter or part thereof shall be paid. These rates will be applicable to the Donkey/Khachar loader only. (b) Rs. 215.88 loading by the tempo, or animal driven Rehri or any other Mechanical Driven vehicles is upto 1000 meters . Beyond this distance an additional wages of Rs. 23.28 for 1000 bricks for every additional 500 meter or part thereof shall be paid.	
3.	Keriwala	Rs. 46.64 per 1000 Bricks	
4.	Nikasiwala	Rs. 192.56 per 1000 Bricks	
5.	Chunaiwala	Rs. 11857.83 per month	
6.	Mistri/Coal Man/Jalaiwala	Rs. 11857.83 per month	

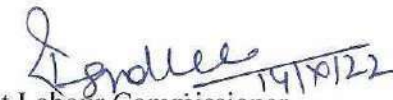
All employers are directed to fully implement the revised minimum wage w.e.f. 01.07.2022 and arrears must also be paid from 1st July, 2022.


Joint Labour Commissioner
for Labour Commissioner, Haryana
Dated: 14.10.2022

Endst. No. IR-2/2022/33347-33353

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action, please:-

1. PS to Hon'ble CM for kind intimation to Hon'ble Chief Minister, Haryana.
2. PS to Hon'ble Labour & Employment Minister for kind intimation to Hon'ble LEM.
3. PS to Secretary Labour, Ministry of Labour & Employment, Govt. of India, New Delhi.
4. PS to ACS (Labour) for kind intimation to Worthy ACS (Labour).
5. PS to LC for kind intimation to Worthy LC.
6. Director, Information, Public Relation & Languages department, Haryana.


Joint Labour Commissioner
for Labour Commissioner, Haryana
Dated: 14.10.2022

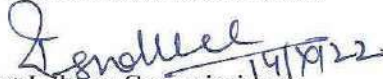
Endst. No. IR-2/2022/33354-451

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action, please

1. All the Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

to be continued.....

2. All the Vice Chancellors and Registrar in the Public & Private Universities in the State.
3. All the Heads of Department in the State of Haryana.
4. All the MDs, Chief Administrators of all Boards/Corporation/Nigam and Public undertaking unit in the State.
5. Additional Labour Commissioner, Haryana.
6. Additional Chief Inspector of Factories IS&H, Haryana.
7. All the Joint Directors/Deputy Directors/Assistant Directors IS&H and Health.


Joint Labour Commissioner
for Labour Commissioner, Haryana

Endst. No. IR-2/2022/33451-521

Dated: 14.10.2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action, please:-

1. All the Representatives of Industrial Associations in the State of Haryana.
2. All the Representatives of Registered Trade Unions in the State of Haryana.


Joint Labour Commissioner
for Labour Commissioner, Haryana

Endst. No. IR-2/2022/33522

Dated: 14.10.2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action, please:-

1. IT Cell, Labour Department with the request to upload it on departmental website i.e. hrylabour.gov.in.


Joint Labour Commissioner
for Labour Commissioner, Haryana



श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेंज बिल्डिंग, सेंटर-17सी, चण्डीगढ़, दूरभाष-0172-2701373
Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

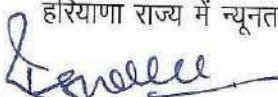
क्रमांक: आई0आर0-2/2022/ 10764-893 दिनांक:-8/4/22

विषय:- हरियाणा राज्य में दिनांक 01-01-2022 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधारों हुई बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

पूर्व में हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 में वर्णित भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-01-2022 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार जून, 2021 के अन्त तक औसत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंक 2848 थे, जो कि अगले छः मास अर्थात दिसम्बर, 2021 तक बढ़कर 2958.10 हो गये हैं। इस आधार पर कुल कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 110.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी0पी0आई0 संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूटरलाइजेशन है।

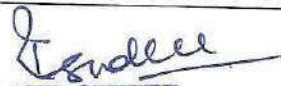
तदनुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रमिकों के वर्तमान मासिक व दैनिक न्यूनतम वेतन में 3.89 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.01.2022 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती हैं:-


उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़

लगातार.....

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रु०)	दिनांक 01.07.2021 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.01.2022 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.01.2022 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	9803.24	295.64	10098.88	388.42
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	10293.36 10808.02	310.42 325.94	10603.78 11133.96	407.84 428.23
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	11348.43 11915.86	342.24 359.35	11690.67 12275.21	449.64 472.12
4.	उच्च कुशल		9699.74	12511.65	377.32	12888.97	495.73
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(ix) मैट्रिक से कम (x) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं (xi) स्नातक या ऊपर (xii) स्टेनो टाईपिस्ट (xiii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (xiv) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (xv) निजी सहायक (xvi) निजी सचिव	7980.00 8379.00 8797.95 8379.00 8797.95 9237.85 9699.74 10184.73	10293.36 10808.02 11348.43 10808.02 11348.43 11915.86 12511.65 13137.23	310.42 325.94 342.24 325.94 342.24 359.35 377.32 396.19	10603.78 11133.96 11690.67 11133.96 11690.67 12275.21 12888.97 13533.42	407.84 428.23 449.64 428.23 449.64 472.12 495.73 520.52
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	11348.43	342.24	11690.67	449.64
7.	चालक	हल्का वाहन भारी वाहन	9237.85 9699.74	11915.86 12511.65	359.35 377.32	12275.21 12888.97	472.12 495.73
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र शस्त्र सहित	7980.00 9237.85	10293.36 11915.86	310.42 359.35	10603.78 12275.21	407.84 472.12
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					

नोट:- क्रम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।


उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2022 से ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 3.89 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.01.2022 से हरियाणा राज्य में ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती हैं:-

क0 सं0	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	575.37 रुपये	647.30 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 258.89 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 22.95 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गंधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 212.84 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 22.95 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	45.98 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	189.85 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	11690.67 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	11690.67 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

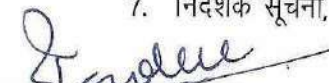

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

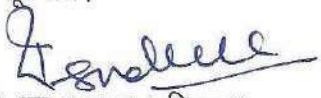
पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2022/10894-900

दिनांक: 8/4/22

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
6. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
7. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।


उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2022/ 10901-11106

दिनांक: 8/4/22

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राईवेट विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों व रजिस्ट्रार महोदय को।
3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्घमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।
7. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।

9/ कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2022/ 11107-276

दिनांक: 8/4/22

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोशिएसनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

9/ कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2022/ 11277

दिनांक: 8/4/22

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. आई0टी0 सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।

उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़

9/ कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।



श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17सी, चण्डीगढ़, दूरभाष-0172-2701373
Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 5377-522

दिनांक:- 22/02/24

विषय:-

हरियाणा राज्य में दिनांक 01-01-2024 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हुई बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 में वर्णित भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-01-2024 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार जून, 2023 के अन्त तक औसत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3183.00 अंक था, जो कि अगले छः मास अर्थात दिसम्बर, 2023 तक बढ़कर 3293.10 अंक हो गया है। इस आधार पर कुल कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 110.10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी0पी0आई0 संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन है।

तदनुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में 3.46 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.01.2024 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती हैं:-

लगातार.....

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रु०)	दिनांक 01.07.2023 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.01.2024 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.01.2024 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	10661.28	262.96	10924.24	420.16
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	11194.30 11754.00	276.11 289.91	11470.41 12043.91	441.17 463.23
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	12341.71 12958.81	304.41 319.63	12646.12 13278.44	486.39 510.71
4.	उच्च कुशल		9699.74	13606.75	335.61	13942.36	536.24
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	11194.30	276.11	11470.41	411.17
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	11754.00	289.91	12043.91	463.23
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	12341.71	304.41	12646.12	486.39
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	11754.00	289.91	12043.91	463.23
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	12341.71	304.41	12646.12	486.39
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	12958.81	319.63	13278.44	510.71
		(vii) निजी सहायक	9699.74	13606.75	335.61	13942.36	536.24
		(viii) निजी सचिव	10184.73	14287.09	352.39	14639.48	563.06
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	12341.71	304.41	12646.12	486.39
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	12958.81	319.63	13278.44	510.71
		भारी वाहन	9699.74	13606.75	335.61	13942.36	536.24
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	11194.30	276.11	11470.41	441.17
		शस्त्र सहित	9237.85	12958.81	319.63	13278.44	510.71
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					

नोट:- कम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

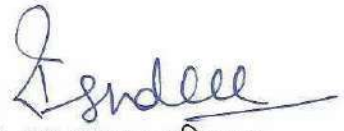
लगातार.....

Signature

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 से ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 3.46 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.01.2024 से हरियाणा राज्य में ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	622.40 रुपये	700.21 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 280.04 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 24.83 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 230.23 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 24.83 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	49.74 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	205.35 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	12646.12 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	12646.12 रुपये प्रति मास	

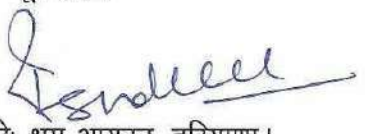
अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप हरियाणा में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को व सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।


प्रकृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आईओआर0-2/2024/ 5523-530 दिनांक: 22/02/24

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

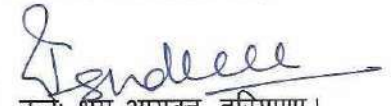
1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव प्रधान सचिव, श्रम विभाग को प्रधान सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
6. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
7. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।


प्रकृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 5531-5732 दिनांक: 22/02/24

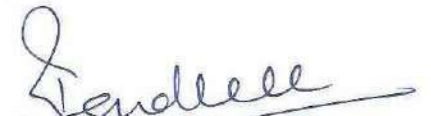
इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राइवेट विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों व रजिस्ट्रार महोदय को।
3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्घमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।
7. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।

9. 
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

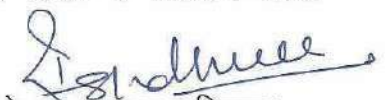
पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 5733-5883 दिनांक: 22/02/24
इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

9. 
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 5884 दिनांक: 22/02/24
इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

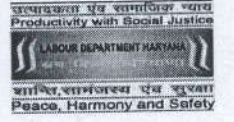
1. आई0टी0 सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।

9. 
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।



श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17सी, चण्डीगढ़, दूरभाष-0172-2701373
Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 25852-26005 दिनांक:- 15/4/24

विषय:- हरियाणा राज्य में दिनांक 01-07-2024 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हुई बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 में वर्णित भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2024 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार दिसम्बर, 2023 के अन्त तक औसत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3293.10 अंक था, जो कि अगले छः मास अर्थात जून, 2024 तक बढ़कर 3326.60 अंक हो गया है। इस आधार पर कुल कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 33.50 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी0पी0आई0 संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन है।

तदनुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में 1.02 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.07.2024 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती है:-

लगातार.....

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रु०)	दिनांक 01.01.2024 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.07.2024 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.07.2024 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	10924.24	77.52	11001.76	423.14
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	11470.41 12043.91	81.40 85.47	11551.81 12129.38	444.30 466.51
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	12646.12 13278.44	89.74 94.23	12735.86 13372.67	489.84 514.33
4.	उच्च कुशल		9699.74	13942.36	98.94	14041.30	540.05
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	11470.41	81.40	11551.81	444.30
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	12043.91	85.47	12129.38	466.51
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	12646.12	89.74	12735.86	489.84
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	12043.91	85.47	12129.38	466.51
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	12646.12	89.74	12735.86	489.84
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	13278.44	94.23	13372.67	514.33
		(vii) निजी सहायक	9699.74	13942.36	98.94	14041.30	540.05
		(viii) निजी सचिव	10184.73	14639.48	103.88	14743.36	567.05
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	12646.12	89.74	12735.86	489.84
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	13278.44	94.23	13372.67	514.33
		भारी वाहन	9699.74	13942.36	98.94	14041.30	540.05
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	11470.41	81.40	11551.81	444.30
		शस्त्र सहित	9237.85	13278.44	94.23	13372.67	514.33
9.	सुरक्षा निरीक्षक / सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limtd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					
नोट:- क्रम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई दसूली नहीं की जायेगी।							

लगातार.....

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2024 से ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 1.02 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.07.2024 से हरियाणा राज्य में ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	626.82 रुपये	705.18 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 282.03 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 25.01 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 231.86 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 25.01 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	50.09 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	206.81 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	12735.86 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	12735.86 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप हरियाणा में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को व सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/26006-11

दिनांक: 15/7/24

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
5. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 26012-515 दिनांक: 15/11/24

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राईवेट विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों व रजिस्ट्रार महोदय को।
3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्घमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।
7. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।

dc कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 26516-715

दिनांक: 15/11/24

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

Joint Labour Commission
Haryana, Chandigarh

dc कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 26716

दिनांक: 15/11/24

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. आई0टी0 सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।

dc कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।